

## विद्यालय सुविधा अनुदान राशि (SCHOOL FACILITY GRANT)

परिचय :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु विद्यालय सुविधा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस 2014-15 के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक खण्ड हेतु देय है। राज्य/जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का स्थानान्तरण सीधे ही विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के बैंक खाते में किया जायेगा। अतः निम्नानुसार वितरित किया जा कर शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

वित्तीय प्रावधान :

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या		विद्यालय का स्तर		योग
		प्रा.वि.	उप्रावि	प्राथमिक विद्यालय स्तर	उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर	
1.	रा.प्रा.वि.	1	—	5000/—	0	5000/—
2.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 1 से 8)	1	1	5000/—	7000/—	12000/—
3.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 6से 8)	—	1	0	7000/—	7000/—
4.	रा.मा. वि./उ.मा.वि. (कक्षा 1 से 10 व 1 से 12)	1	1	5000/—	7000/—	12000/—
5.	रा.मा.वि./उ.मा.वि. (कक्षा 6 से 10 व 6 से 12)	—	1	0	7000/—	7000/—

कक्षा 1 से 8 वाले प्रत्येक उच्च प्राथमिक/मा.वि./उ.मा.वि. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 को एक प्राथमिक विद्यालय एवं कक्षा 6 से 8 को एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में पृथक-पृथक गणना की जावे तथा सम्बन्धित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति में जोड़ा जावे।

एफजी राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/ कार्य में किया जा सकता है -

1. दरी पट्टी/दरी	7. एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)
2. श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन	8. अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
3. चॉक, डस्टर	9. विज्ञान/गणित किट सामग्री के प्रतिस्थापन पर व्यय
4. शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया	10. प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री /उपलब्धि प्रमाण-पत्र मुद्रण।
5. परीक्षा संबंधी स्टेशनरी	11. शौचालय स्वच्छता व्यय (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिये अधिकतम 100 रुपये प्रतिमाह की सीमा तक)
6. पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय	

### कार्य प्रक्रिया :

6. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
7. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त एसएमसी के दो अभिभावक सदस्य होंगे।
8. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
9. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
10. उपयोग के तत्काल पश्चात या वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह पूर्व निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक के माध्यम से तीन प्रतियों में सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवायें ताकि समय पर इसका समायोजन हो सके।

विद्यालय सुविधा अनुदान राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे-

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)
2. जलपान आदि पर।
3. विद्यालय के रंग-रोगन अथवा मरम्मत पर
4. उत्सव मनाना व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

### ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

1. स्कूल फेसिलिटी ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता से क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा निर्देशों की पालना करते हुये छात्र हित एवं छात्र आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान विद्यालय सुविधा अनुदान के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।

नोट :- शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

# विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)

## उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम ..... डाईस कोड.....

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015-16 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रु. .... का उपयोग विद्यालय प्रबंधन समिति में पारित प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक..... के अनुसार सामग्री क्रय पश्चात् दिनांक ..... को राशि का उपयोग कर लिया गया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये..... का बैंक संख्या..... बैंक..... शाखा..... दिनांक..... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	बिल संख्या व दिनांक	नाम सामग्री	फर्म का नाम	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ.सं. /दि.

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबंधन समिति के प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक..... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक ..... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर  
सचिव  
विद्यालय प्रबंध समिति

हस्ताक्षर  
अध्यक्ष  
विद्यालय प्रबंध समिति

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।